

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 51/2009 वाद

मु० प्रतापी बाई व अन्य

// बनाम //

हरिराम माली व अन्य



वाद अन्तर्गत धारा 88,188, 209 रा०का०अधि०

निर्णय

दिनांक 02.07.2019

पत्रावली न्यायालय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के आदेश दिनांक 10/05/2019 के साथ प्राप्त हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्र०सं० निगरानी आ०टी०एक्ट संख्या 2501/2018/चित्तौड़गढ़ निर्णय दिनांक 10/05/2019 द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-7 नियम-11 जा०दी० स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज करने का निर्णय पारिज किया है। ऐसी स्थिति में अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेड़ा

